

“मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना”

राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या- 49 दिनांक- 18.05.2018 के आलोक में “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना” के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में अध्ययनरत प्रति छात्र/ छात्राओं को ₹1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।

- (1) विभागीय पत्रांक- 1320 दिनांक- 16.06.2017 द्वारा छात्रावास संचालन समिति का गठन एवं दायित्व, छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति एवं दायित्व, छात्रावास में छात्रों के प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण छात्रावास की सुरक्षा, रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्था आदि के संबंध में छात्रावास के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत है।
- (2) अल्पसंख्यक छात्रावास में आवासित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/ छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रावास अनुदान दिया जाना है।

(3) छात्रावास अनुदान के लिये अहर्ता :-

- (i) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में छात्र/ छात्रा विधिवत नामांकित एवं आवासित हो।
- (ii) छात्र/छात्रा बिहार राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के स्थायी निवासी हो।
- (iii) छात्र/छात्रा को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम एवं मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए।
- (iv) संबंधित माह में छात्र/ छात्रा द्वारा कम से कम 25 दिन छात्रावास में निवास किया गया हो।

(4) भुगतान की प्रक्रिया :-

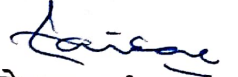
- (i) संबंधित छात्रावास के स्वीकृत बल के आलोक में छात्र/ छात्राओं की सत्यापित सूची एवं संबंधित सूचना छात्रावास अधीक्षक द्वारा जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा।
- (ii) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के किसी कर्म को Maker/Checker नामित कर प्राप्त सत्यापित सूची को Portal पर Upload/ Online करवायेगे।
- (iii) Maker/Checker द्वारा की गई प्रवृष्टि का सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा Online Portal के माध्यम से किया जायेगा एवं लाभान्वित होने वाले छात्रों की सूची को अन्तिम रूप से अनुमोदित करेंगे।
- (iv) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के स्तर से अनुमोदित सूची के आधार पर विभागीय स्तर पर योजना हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा छात्रावास अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् लाभान्वित होने वाले छात्रों के बैंक खाते में राशि का अंतरण किया जायेगा।
- (v) अभ्यर्थियों के खातों में राशि अंतरित करने हेतु विभाग के स्तर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता संधारित किया जायेगा।

(5) अनुश्रवण :-

जिला पदाधिकारी जिला में संचालित इस योजना का प्रत्येक माह अनुश्रवण करेंगे तथा योजना के संचालन में उत्पन्न किसी भी तरह के कठिनाई के निराकरण हेतु संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को मार्गदर्शन देंगे।

(6) अन्य :-

विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नए निदेश/ अनुदेश निर्गत की जा सकती है।



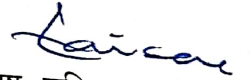
(मो०एस०आई० फैसल)

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक- अ०सं०क०- 04-03-H-02/2018.../०५७.../

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- २६.७.१८.../

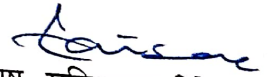


विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक- अ०सं०क०- 04-03-H-02/2018.../०५७.../

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- २६.७.१८.../



विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक- अ०सं०क०- 04-03-H-02/2018.../०५७.../

प्रतिलिपि :- सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- २६.७.१८.../



विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक- अ०सं०क०- 04-03-H-02/2018.../०५७.../

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- २६.७.१८.../

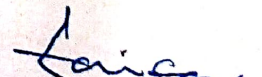


विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक- अ०सं०क०- 04-03-H-02/2018.../०५७.../

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- २६.७.१८.../



विशेष सचिव-सह-निदेशक